कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड / COCHIN SHIPYARD LIMITED कोच्ची / Kochi – 682 015 कार्मिक एवं प्रशासन विभाग / P&A DEPARTMENT

सं.पीईआरएल/No.PERL/17(28)/2004 Pt

05 दिसंबर / Dec 2024

कार्यालयआदेश / OFFICE ORDER

कार्यपालकों और गैर-संघीकृत पर्यवेक्षकों के लिए अधिवर्षिता चिकित्सा अंशदान योजना (एसएमसीएस) में संशोधन

AMENDMENT TO SUPERANNUATION MEDICAL CONTRIBUTION SCHEME (SMCS) FOR EXECUTIVES & NON-UNIONISED SUPERVISORS

- अधिकारियों और पर्यवेक्षकों के लिए अधिवर्षिता चिकित्सा अंशदान योजना (एसएमसीएस) के संबंध में कार्यालय आदेश संख्या पी एंड ए / 18 (175) / 2009 दिनांक 26 अप्रैल 2011 और संख्या पी एंड ए / 18 (175) / 2009 दिनांक 16 जनवरी 2015 देखें।
 - Refer Office Orders No.P&A/18(175)/2009 dated 26 April 2011 and No.P&A/18(175)/2009 dated 16 January 2015 regarding Superannuation Medical Contribution Scheme (SMCS) for Executives and Supervisors.
- 2. निदेशक मंडल ने दिनांक 08 अगस्त 2024 को आयोजित अपनी 278वीं बैठक में सीएसएल में 15 वर्ष से कम सेवा के साथ सेवानिवृत्त हुए या सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों और गैर-संघीकृत पर्यवेक्षकों को सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा सहायता योजना के कवरेज का विस्तार करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जो निम्नानुसार चिकित्सा बीमा प्रीमियम के वार्षिक भुगतान के अधीन है:

The Board of Directors in its 278th Meeting held on 08 Aug 2024 has approved the proposal to extend the coverage of the post-retirement medical assistance scheme to Executives and Non-Unionised Supervisors who superannuated or superannuating from CS_L with less than 15 years of service at CSL, subject to annual payment of the medical insurance premium as follows:

सीएसएल और अन्य सीपीएसई में सेवा की संयुक्त अवधि Combined Period of service in CSL and other CPSEs	बीमा प्रीमियम का वार्षिक अंशदान Annual contribution of insurance premium
10 years and less than 15 years	30%
5 years and less than 10 years	60%
Less than 5 years	100%

3. सीएसएल के बोर्ड स्तर से नीचे के अधिकारियों और गैर-संघीकृत पर्यवेक्षकों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद की चिकित्सा सहायता योजना (अधिवर्षिता चिकित्सा अंशदान योजना) में तदनुसार संशोधन किया गया है। The post-retirement medical assistance scheme for below Board level Executives and Non-unionised supervisors of CSL (Superannuation Medical Contribution Scheme) stands amended accordingly.

(ए के सुबाष/ A K Subash) हर संस्थाधन / CM (HP&Trng)

महाप्रबंधक (मानव संसाधन) / GM (HR&Trng)

सेवा में /To

सभी संबंधित/ All concerned

प्रतिलिपि / Copy to

नि(तक)/नि(वि)/नि(प्र)/D(T)/D(F)/D(O)
मृ.स.अ./CVO
का.नि.(पो.म.)/ का.नि.(पो.नि.)/ ED(SR) / ED(SB)
मृ.म.प्र./म.प्र./उ.म.प्र./CGMs /GMs/DGMs
अ. एवं प्र. नि. का नि.स./ PS to CMD
सीएसएसए/सीएसओए / CSSA/CSOA

सेवानिवृत्त कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी संघ और परिसंघ All Unions and Associations representing of retired employees